>

Title: Need to take measures for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country.

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): योजना आयोग की टॉस्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार देश के भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों के लिए केन्द्र सरकार को जमीन खरीदकर बांटने का कार्य शीघ्र अमल में लाना चाहिए तथा केन्द्र सरकार को बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना की मद में सब्सिडी के भाग को बढ़ाना चाहिए तथा उद्योग के जरिए गरीबी से लड़ने के उद्देश्य से बनाई गई संस्था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को वित्तीय रूप से ज्यादा समर्थन देना चाहिए । इस वित्तीय संस्था का वर्तमान में शेयर 1000 करोड़ रूपये का है । इससे जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक बदलाव लाना चाहिए । यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि केन्द्र सरकार को दो विशेष कोष बनाना चाहिए जिसमें से एक कोष अनुसूचित जाति की योजनाओं के लिए आवंटित राशि में से बची हुई राशि को जमा करे और दूसरा कोष अनुसूचित जनजाति से जुड़ी योजनाओं के लिए आवंटित बची राशि को जमा करे ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि को न तो किसी मद हेतु खर्च किया जाए और न ही इस राशि के किसी अवधि में खर्च न हो पाने की स्थिति में "लैप्सेबल" माना जाए । योजना आयोग की टॉस्क फोर्स ने इस राशि को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजाति कार्य मंत्रालय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की योजनाओं के लिए आवंटित करने की भी सिफारिश की है, जिसे सरकार को अविलम्ब लागू करना चाहिए ।